PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Focus News, delhi
Wed, 31 May 2017, Page 1
Width: 26.97 cms, Height: 29.97 cms, a3, Ref: 4.2017-05-31.12

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की संभावना से इनकार नहीं है : हसमुख अधिया

बेंगलुरु, फोकस न्यूज, राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के तहत तय विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों को तर्कसंगत बनाने की संभावना से इनकार नहीं है। उद्योग के साथ एफएमसीजी और वाहन क्षेत्र ने सरकार से जीएसटी दरों में संशोधन की अपील की है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चिंता पर अधिया ने कहा कि परिषद की तीन जून को होने वाली बैठक में खाद्यान्न

जीएसटी पर परिचर्चा में अधिया ने कहा, "एक चीज पर हम सभी में सहमति होनी चाहिए कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों को तर्कसंगत बनाने की गुंजाइश जरूर है।" सरकार जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की चेयरपर्सन वनाजा सरना ने भी कल कहा था कि यदि उचित होगा, तो जीएसटी परिषद कर दरों में संशोधन कर सकती है। विभिन्न उद्योग, कंपनियां और व्यापारी तथा विशेषरूप से गेहूं और चावल की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "वित्त मंत्री अरण जेटली पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि यह मुद्दा जीएसटी परिषद के पास लंबित है। इस पर फैसला लिया जाएगा। हम इस बात को समझते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है।" अधिया ने कहा कि यदि इन उत्पादों को कर मुक्त श्रेणी में रखा जाएगा तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नुकसान होगा। उन्होंने कहा (शेष पेज दो पर)

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Focus News, delhi
Wed, 31 May 2017, Page 1
Width: 24.42 cms, Height: 6.91 cms, a4r, Ref: 4.2017-05-31.12

जीएसटी दरों...

(पेज एक का शेष) कि परिषद ब्रांडिंग की परिभाषा पर विचार बनाएगी। वित्तीय सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा जताई जा रही चिंता पर अधिया ने इन आशंकाओं को खारिज किया कि जीएसटी के क्रियान्वयन से रिण महंगा होगा। उन्होंने कहा वित्तीय सेवा क्षेत्र में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि रिण महंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अधिया ने यह भी कहा कि जीएसटी से भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चार प्रतिशत से अधिक बढ़ सकती है क्योंकि यह नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुगम और आसानी से अनुमान लगाने योग्य है। इससे लोगों में कर अनुपालन बढ़ेगा।